(7)

पत्र संख्या-स्था-1-चल-अचल सम्पत्ति/2023-24/ 4158 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ//दिनांक- 23/02/2024

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1/ग्रेड-2, राज्य कर उत्तर प्रदेश/अपर निदेशक, राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर लखनऊ।
समस्त संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश।
समस्त राज्य कर अधिकारी, राज्य कर उत्तर प्रदेश।
समस्त संयुक्त निदेशक (संख्या)/ उप निदेशक (संख्या)/ सांख्यिकीय अधिकारी/ अपर सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य कर उत्तर प्रदेश।

विषयः-मानव सम्पदा पोर्टल पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया शासन के कार्मिक अनुभाग-1 पत्र संख्या-2/2024-197/सैंतालिस-का-1-2024-13(1)/2024 दिनांक 22.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालिस-का-4-2023 दिनांक 18.08.2023 में की गयी अपेक्षानुसार मानव संपदा पोर्टल पर अधिकरियों/कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः इस पत्र के साथ शासन के उक्त पत्र दिनांक 22.02.2024 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (जो दर्ज कर चुके हैं उन्हे छोड़ कर) को मानव संपदा पोर्टल पर नियमानुसार चल-अचल संपत्ति का विवरण दिनांक 01.03.2024 तक दर्ज किये जाने के संबंध में निर्देशित करने का कष्ट करें।

यह पत्र आयुक्त महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(श्याम प्रसाद)
संयुक्त आयुक्त (स्था0राज0)
राज्य कर मुख्यालय।

16032

Del(7) 23/02/2024

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1-अपर आयुक्त, राज्य कर गौतमबुद्ध नगर जोन, नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन के पत्र दिनांक 22.02.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अपने अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2-संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं विवरण फीडिंग किये जाने सम्बन्धी पोर्टल खोले जाने हेतु।

3-कम्पयूटर आपरेटर स्थापना राजपत्रित अनुभाग।

संयुक्त आयुक्त (स्था0राज0)
राज्य कर मुख्यालय।

संख्या-2/2024/197/सैंतालीस-का-1-2024-13(1)/2024

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ:: दिनांक 22 फरवरी, 2024**

विषयः- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023, दिनांक 18 अगस्त, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक 31.12.2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए हैं कि चल-अचल सम्पत्ति का विवरण समयबद्ध रूप से प्रस्तुत न किये जाने पर उसे प्रतिकूल रूप में लिया जाये तथा दिनांक 01.01.2024 के पश्चात् होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में, ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाए।

2- इस संबंध में यह संज्ञान में आया है कि शासन स्तर एवं विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न चयन समिति की बैठकों में शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 2023 में वर्णित व्यवस्था सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत नहीं की जा रही है। अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023, दिनांक 18 अगस्त, 2023 की उक्त व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-2/2024/197/सैंतालीस-का-1-2024-13(1)/2024, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज/ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-2/2024/197/सैंतालीस-का-1-2024-13(1)/2024, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज/ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।